

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, बांसवाड़ा (राज.)

पीठासीन अधिकारी - प्रकाश चन्द्र शर्मा, IAS

प्रकरण संख्या : 44/2022
रजिस्ट्रेशन नं. : 2022/71

प्रार्थी/अपीलार्थी :-

आवास फाईनेशियर्स लिमिटेड
कार्यालय 201-202, 2nd फ्लोर
साउथएण्ड स्क्वायर, मानसरोवर
इन्डिस्ट्रीयल ऐरीया, जयपुर (राज.) बनाम
पिन नम्बर 302020

अप्रार्थी/रैसपोण्डेंट्स:-

1. श्री यशवन्त कुमार जैन पुत्र श्री छगनलाल जैन
निवासी कुम्हारवाडा, घाटोल, जिला बांसवाडा
पिन नं. 327023(ऋणी/बंधककर्ता)
2. श्रीमती सरोज जैन पत्नी श्री यशवन्त कुमार
जैन निवासी कुम्हारवाडा, घाटोल, जिला
बांसवाडा पिन नं. 327023 (सहऋणी)
3. श्री कल्पेश गांधी पुत्र श्री छगनलाल जैन
निवासी कुम्हारवाडा, घाटोल, जिला बांसवाडा
पिन नं. 327023 (सहऋणी)

निर्णय

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति
हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002

दिनांक :- 26.04.2022

प्राधिकृत अधिकारी आवास फाईनेशियर्स लिमिटेड कार्यालय 201-202, 2nd फ्लोर साउथएण्ड स्क्वायर,
मानसरोवर इन्डिस्ट्रीयल ऐरीया, जयपुर की ओर से प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अप्रार्थी सं. 1, 2
व 3 ऋणी व सह ऋणी है। अप्रार्थी सं. 1 से 3 ने वित्तीय संस्था से दिनांक 30.03.2017 को राशि रुपया
7,50,000 रु. एवं दिनांक 11.03.2020 को 92,000 रु. का ऋण लिया था। अप्रार्थीगण नियमित रूप से उक्त
ऋण का भुगतान नहीं कर सके और भुगतान के व्यतीक्रम व अतिदेय होने पर दिनांक 06.05.2022 को
अक्रियान्वित आस्ति में वर्गीकृत कर दिया है। अप्रार्थीगण के खाते दिनांक 07-05-2022 तक कुल बकाया राशि
9,83,573 रु. एवं तत्पश्चात राशि मय ब्याज की वसूली के पूर्ण भुगतान हेतु स्वयं जिम्मेदार है। पुर्नभरण हेतु
सिक्योरीटी के रूप में अपनी अचल सम्पत्ति प्रार्थी के पास रहन की जिसका विवरण वाके ग्राम घाटोल तहसील
घाटोल जिला बांसवाडा राजस्थान पर स्थित है जिसमें भूमि, भवन एवं ढांचा जो सभी सम्पत्ति के अभिन्न अंग है



जिसका माप 750 वर्गफीट है। जिसके पूर्व में मोहनलाल पुत्र हिरालाल मुगानिया का मकान, पश्चिम में गली

(Signature)

कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
बांसवाड़ा (राज.)



महेन्द्र कुमार गाँधी एडवोकेट
9772838470
वैभव गाँधी एडवोकेट
9649407715




(रास्ता) उसके बाद मनोहरलाल का मकान, उत्तर में पवन कुमार गॉधी का प्लॉट, दक्षिण में पडत भूमि लक्ष्मीलाल कोठारी है, को बतौर प्रतिभूति स्वरूप बन्धक रखा गया था, उसे आधिपत्य में लेने के लिए तथा उससे सम्बन्धित यदि कोई कागजात ऋणी/गारंटर के पास उपलब्ध हों तो उसे उपलब्ध कराने के लिए सहयोग हेतु निवेदन किया है।

प्रार्थी द्वारा संलग्न राष्ट्रीय आवास बैंक (भारतीय रिजर्व बैंक के संपूर्ण स्वामित्व में) के पंजीकरण प्रमाण पत्र सं. 04.0151.17 के अनुसार 1987 के राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम की धारा 29ए के तहत राष्ट्रीय आवास बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आवास फाईनेशियल लिमिटेड (पूर्व में ए.यू. हाउसिंग फायनेंस लि.) को निर्धारित शर्तों पर आवास वित्त संस्थान का व्यापार करते रहने के लिये प्रमाण पत्र जारी किया है।

प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा अधिनियम की धारा 13(2) के तहत दिनांक 09-05-2022 को ऋणी अप्रार्थीगणों को नोटिस दिया गया जिस पर उसने कोई जवाब या कार्यवाही नहीं की व ऋण राशि जमा नहीं करवाई है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु विधिवत नोटिस दिनांक 12.10.2022 को जारी किये गए। दिनांक 03.11.2022 को अप्रार्थीगणों के नोटिस बाद चस्या तहसीलदार घाटोल की रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत हुए अप्रार्थीगण सं. 1 से 3 दिनांक 03.11.2022, 17.11.2022 को अनुपस्थित रहे हैं।

दिनांक 17.11.2022 को भी अप्रार्थीगण अनुपस्थित है। बार बार रुक रुक कर ऋणी/अप्रार्थीगणों को सायं 04.00 पीएम तक आवाज लगवाई गई, ऋणी/अप्रार्थीगण स्वयं अथवा उनके अधिवक्ता अनुपस्थित रहे हैं। अप्रार्थी के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है। प्रार्थी अधिवक्ता की ओर से प्रस्तुत एकपक्षीय बहस सुनी गई। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा बहस में कथन किया कि ऋणी द्वारा ऋण राशि जमा नहीं करवाई गई न सुनवाई के दौरान उपस्थित रहे हैं। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार करने निवेदन किया।



कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
बाराबंका (राज.)



हमने एकपक्षीय बहस पर मनन किया पत्रावली का अवलोकन किया। सरफेसी एक्ट 2002 के तह वित्तीय संस्था द्वारा अधिनियम की धारा 14 के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है एवं वित्तीय संस्था क अचल सम्पत्ति का कब्जा लिये जाने हेतु सहयोग प्रदान किया जाना आवश्यक है। यदि नियमों के अनुसा किसी प्रक्रिया/प्रावधान की पालना नहीं की गई है तो समस्त उत्तरदायित्व प्राधिकृत अधिकारी बैंक/वित्तीय संस्था का होगा।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार घाटोल को निर्देशित किया जाता है कि वह उक्त बन्धक स्वरूप सम्पत्ति का कब्जा एवं उससे सम्बन्धित कागजात आवास फार्निशियर्स लिमिटेड कार्यालय 201-202, द्वितीय तल, साउथ एण्ड स्कवायेर, मानसरोवर इन्डिस्ट्रीयल ऐरीया, जयपुर को दिलाने के लिए बैंक/संस्थान को आवश्यक सहयोग प्रदान करे एवं आवश्यक हो तो थानाधिकारी से पुलिस सहयोग प्राप्त करे। जिला पुलिस अधीक्षक से भी यह अपेक्षा की जाती है कि वह सम्बन्धित थानाधिकारी को निर्देश प्रदान करे कि आवश्यकता होने पर वह पुलिस सहायता प्रदान करे।

निर्णय आज दिनांक 17.11.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया



(प्रकाश चन्द्र शर्मा)
क्लर्क एवं जिला मजिस्ट्रेट,
बांसवाड़ा (राज.)
बांसवाड़ा (राजस्थान)